

पूर्व राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिंह का भाषण

9 मार्च 1971

में विधान सभा के इस सत्र में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने शुरू में मध्यप्रदेश की चतुर्थ योजना का आकार तीन सौ तिरासी करोड़ रुपये निर्णय किया था। यद्यपि शासन के प्राथमिक प्रयत्नों के फलस्वरूप योजना आयोग इस राशि को तीन सौ तिरानवे करोड़ रुपये तक बढ़ाने को सहमत हो गया था, किन्तु राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, राज्य सरकार का यह निर्णय मत था कि उक्त राशि सर्वथा अपर्याप्त होगी, अतः राज्य शासन ने यह सुझाव रखा कि उन्नीस सौ और इसके बाद के वर्षों में केंद्र द्वारा जो अतिरिक्त साधन जुटाये जायेंगे उनमें से राज्य शासन को मिलने वाले अंश का पयोग राज्य की चौथी योजना के आकार में वृद्धि करने के लिये किया जाये। प्रधानमंत्री ने सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार किया है कि यदि अतिरिक्त साधनों को जुटाने के संबंध में दिये गये अपने आश्वासन समर्थ हुआ तो राज्य शासन के उक्त सुझाव को स्वीकार करने में केंद्रीय शासन को अर्पित नहीं होगी। अनुमान है कि चतुर्थ योजनाकाल में केंद्रीय शासन जो अतिरिक्त साधन जुटा पायेगा उन में से मध्यप्रदेश का हिस्सा सैंतीस करोड़ रुपये होगा। उक्त सैंतीस करोड़ रूपयों के सिवाय राज्य शासन योजना के पारिवर्धित आकार के लिये वित्ताय संस्थानों राज्य के अन्य स्रोतों ओर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता के माध्यम से भी धनराशि जुटायेगा। इन सब साधनों को ध्यान में रखते हुए अंततः राज्य ने अपनी चौथी योजना का आकार तीन सौ तिरानवे करोड़ रुपये के स्थान पर चार सौ पचास करोड़ रुपये तय किया है। योजना के इस बढ़े हुए आकार का अनुमोदन अभी तक योजना आयोग से अपेक्षित है और आशा है कि निकट भविष्य में योजना आयोग से वांछित स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी।